भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5530

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

आधार को ईपीआईसी से जोड़ना

5530. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनावी धोखाधड़ी को रोकने और मतदाता रिकॉर्ड में सत्यता सुनिश्चित करने के लिए आधार को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने मतदाताओं ने अपने आधार को ईपीआईसी से जोड़ा है ;

(ग) क्या इस लिंकिंग प्रक्रिया के संबंध में गोपनीयता, डेटा सुरक्षा या मतदाता सूची से नाम कटने से संबंधित कोई चिंता उठाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा संशोधित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए विद्यमान या भावी निर्वाचक को आधार संख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा को अनुज्ञात करता है निर्वाचन आयोग ने 4 जुलाई, 2022 के अपने अनुदेश द्वारा से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 1 अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर विद्यमान और भावी निर्वाचकों की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया है और अभी तक कोई भी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को आधार से नहीं जोड़ा गया है।

(ग) और (घ) : निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है और प्ररूप 6ख में आधार के लिए निर्वाचकों से सहमति अभिप्राप्त की जाती है।संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है और बहुस्तरीय सुरक्षा संरचना के साथ डाटा का अनुरक्षण करता है निर्वाचन डाटा स्थैतिक और पारगमन दोनों में एन्क्रिप्ट किया गया है ।

****